सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(i) **समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,**
उत्तराखण्ड शासन।

(ii) **मण्डलायुक्त,**
गढ़वाल / कुमाऊँ मण्डल,
उत्तराखण्ड।

(iii) **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तराखण्ड।

(iv) **समस्त विभागाध्यक्ष**
उत्तराखण्ड।

(v) **अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक,**
उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण
निगम लि0 (उपनल), देहरादून।

समाज (सैनिक) कल्याण अनुभाग–3 देहरादून दिनांक 18 नवम्बर 2011

**विषयः–उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) के माध्यम से संविदा पर कार्यरत समस्त कार्मिकों के नियत वेतन का पुनरीक्षण।**

महोदय,

कृपया पार्श्वांकित शासनादेशों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड एक सैनिक बाहुल्य राज्य है, जहाँ प्रतिवर्ष बडी संख्या में सैनिक सेवानिवृत हो रहे हैं, जिनका पुनर्वासन एवं कल्याण केन्द्र एवं राज्य सरकार के लिए चुनौती है। इसके लिए जहाँ निदेशालय, सैनिक कल्याण के माध्यम से विविध कल्याणकारी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) अपनी स्थापना (वर्ष 2004) अवधि काल से ही पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को संविदा के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराकर पुनर्वासन का कार्य करता रहा है।

> शा0स0–158 / XVII(1)-09(11)/2004
> दिनांक 04 अगस्त, 2004
> शा०स०–900 / XVII(1)-03 / 2005–09(102) / 05
> दिनांक 24 मई, 2005
> शा0स0–209 / पी0एस0–स0सै0क0 / 2006
> दिनांक 03 मार्च, 2006
> शा0स0–77 / XVII-3 / 11–09(17) / 2004
> दिनांक 23 फरवरी, 2011

उपनल यद्यपि राज्य सरकार का सार्वजनिक उपक्रम है तथापि राज्य सरकार इसके संचालन व्यय में सहायता प्रदान नहीं करती बल्कि उपनल द्वारा स्वयं अपना संचालन व्यय वहन किया जाता है। उपनल का मुख्य उद्देश्य पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को रोजगार उपलब्ध कराना है। चूकि उपनल राज्य सरकार की आउटसोर्सिंग ऐजेंसी के रूप में भी कार्यरत है, इसलिए उपनल को मुख्य नि[illegible] (Principal Employer) की [illegible] रखते हुए संविदा कर्मी उपलब्ध कराना पड़ता है। इसी क्रम में उपनल एस0एस0बी0 गुरिल्लाओं को भी उनकी योग्यतानुसार तथा नियोक्ता विभाग की आवश्यकता एवं संतुष्टि के परिप्रेक्ष्य में संविदा पर सेवायोजित करने का प्रयास भी कर रहा है।

2. उपर्युक्त पार्श्वांकित शासनादेशों के क्रम में संलग्न परिशिष्ट-'क' में उल्लिखित विवरण के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के भीतर तथा राज्य सरकार एवं उसके प्रतिष्ठानों/संस्थानों/निगमों आदि (उपनल के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों सहित) में उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 के माध्यम से संविदा पर कार्यरत समस्त कार्मिकों के वेतन एवं भत्तों को इस शर्त एवं प्रतिबन्ध के अधीन दिनांक 01 नवम्बर, 2011 से पुनरीक्षित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है कि ये दरें संविदा सेवा पर कार्यरत कार्मिकों को प्रदत्त न्यूनतम दरें हैं अर्थात् यदि नियोक्ता विभाग (Principal Employer) अपने विभाग में सृजित पद के अनुरूप उच्चतर वेतनमान/मानदेय प्रदान करे अथवा उच्च दरों पर भुगतान करे, तो नियोक्ता विभाग ऐसा कर सकते है।

3. पार्श्वांकित शासनादेशों के आधार पर विभिन्न विभागों में रिक्त विभागीय पदों तथा विभागीय ढाँचे में चिन्हित आउटसोर्सिंग पदों हेतु संविदा पर सुरक्षा/तकनीकी/विविध सेवाओं के लिए उपनल के माध्यम से कार्मिक प्रदान करने की व्यवस्था संचालित है। संविदा पर नियुक्ति के समय पूर्व सैनिक/वीर नारियाँ/उनके आश्रितों तथा सेवारत सैनिकों की धर्मपत्नी को वरीयता प्रदान की जाती है। लेकिन विकलांग पूर्व सैनिक तथा पूर्व सैनिक के विकलांग आश्रितों का सेवायोजन सर्वोच्च प्राथमिकता पर प्रदान किया जाता है।

4. मुख्य नियोक्ता विभाग (Principal Employer) बिना टी.डी.एस. कटौती के, उपनल को पूर्ण राशि का भुगतान करेंगे। उपनल अग्रिम आय कर जमा कराने एवं अन्य सभी प्रकार के अनिवार्य शुल्क (Statutory dues) जमा करने के लिये पूर्ण रूप से स्वयं उत्तरदायी होगा।

5. उपनल को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्राविधानों से छूट प्रदान की गयी है अर्थात् उपनल से संविदा पर कार्मिक प्राप्त करते समय निविदा आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती अर्थात् नियोक्ता विभाग अपनी आवश्यकतानुसार उपनल से सीधे संविदा पर कार्मिक प्राप्त कर सकते हैं।

6. 2.5 प्रतिशत सर्विस चार्ज की दर केवल उत्तराखण्ड राज्य के भीतर राज्य सरकार एवं उसके प्रतिष्ठानों/संस्थाओं/निगमों आदि के लिये ही निर्धारित की जा रही है। भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रों के [illegible]क्रमों हेतु [illegible] दरें पुनर्वास महानिदे[illegible] ([illegible]), [illegible] सरकार, रक्षा मत्रांलय के निर्देशानुसार देय होंगी।

7. उपनल के कार्मिकों को साप्ताहिक अवकाश (रविवार/जो भी दिन अनुमन्य हो), 03 राष्ट्रीय (महात्मा गांधी जयन्ती, गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस), 12 दिन आकस्मिक और 15 दिन अर्जित अवकाश सवेतन लागू होंगे, किन्तु कार्यालय अवकाश के समय भी कार्य हेतु संचालित रहता है तथा अन्य कार्मिक भी सेवा हेतु उपस्थित रहते हैं तो उपनल के कार्मिक भी कार्य हेतु अपनी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

8. सर्विस टैक्स की धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर पुनरीक्षित किए जाने पर उसी तिथि एवं दरो पर तदनुसार लागू होगी।

9. उपनल के कार्मिकों को यात्रा / दैनिक भत्ता, कार्यरत विभाग के समतुल्य पद के सापेक्ष देय होगा। इस पर किसी प्रकार का सर्विस चार्ज / सर्विस टैक्स देय न होगा।

10. यह आदेश पूर्व में जारी शा0स0–19 / XVII(1)-03 / 07–102(सै.क.) / 2002, दिनांक 16 जनवरी 2007, शा0स0–392 / XVII(2) / 2008–09(17) / 2004 दिनांक 03 जुलाई 2008, शा0स0–220 / XVII-3 / 10–09(17) / 2004 दिनांक 24 मई 2010 को अतिक्रमित भी करता है।

11. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या:–43(NP) / XXVII(3) / 2011–12 दिनांक 15 नवम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव

पृष्ठांकन संख्या:– 596 / XVII-3 / 11–09(17)04 तद्दिनांक

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(सी0 एम0 एस0 बिष्ट)
अपर सचिव।

(पैरा 2 के सन्दर्भ में)

# उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) के माध्यम से संविदा पर कार्यरत समस्त कार्मिकों के नियत वेतन का पुनरीक्षण

| क्र0सं0 | विवरण | अकुशल | अर्द्धकुशल | कुशल | उच्चकुशल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बेसिक वेतन डी0ए0 सहित | 4850 | 5770 | 6530 | 7400 |
| 2 | ग्रेच्यूटी क्र0 1 का 4.81% | 233 | 278 | 314 | 356 |
| 3 | मकान भत्ता क्र0 1 का 10% | 485 | 577 | 653 | 740 |
| 4 | बोनस ₹ 3500 का 8.33% | 292 | 292 | 292 | 292 |
| 5 | कपड़ा भत्ता क्र0 1 का 10% | 485 | 577 | 653 | 740 |
| 6 | वेतन (क्र0 1 से 5 तक) | **6345** | **7493** | **8442** | **9528** |
| 7 | ई0एस0आई0 क्र0 1 का 4.75% (मुख्य नियोक्ता का अंशदान) | 230 | 274 | 310 | 352 |
| 8 | ई0पी0एफ0 क्र0 1 का 13.61% (मुख्य नियोक्ता का अंशदान) | **660** | **785** | 889 0 | 1007 0 |
| **9** | कुल योग (क्र0स0 6+7+8) | **7235** | **8552** | ~~8752~~ 9641 | ~~9880~~ 10887 |
| 10 | कटौती (ई0एस0आई0 क्र0 7) | 230 | 274 | 310 | 352 |
| 11 | कटौती (ई0पी0एफ0 क्र0 8) | **660** | **785** | 889 0 | 1007 0 |
| 12 | कटौती (ई0पी0एफ0) कर्मचारी अंश–क्र0 1 का 12% | **582** | **692** | 783 0 | 888 0 |
| 13 | कटौती (ई0एस0आई0) कर्मचारी अंश–क्र0 1 का 1.75% | 85 | 101 | 114 | 130 |
| **14** | कुल कटौतियाँ (क्र0 10+11+12+13) | 1557 | 1852 | 424 (2096) | 482 (2377) |
| **15** | शुद्ध देय (क्र0 9–14) | **5678** | **6700** | **8328** (7545) | **9398** (8510) |
| 16 | अवकाश राहत (क्र0 9 का 28.98%) | 2097 | 2479 | 2536 | 2863 |
| 17 | सर्विस चार्ज (क्र0 9 का 2.5%) | 181 | 214 | ~~219~~ 241 | ~~247~~ 272 |
| 18 | कुल (क्र0 9+17) | 7416 | 8766 | 8971 (9882) | ~~10127~~ 11159 |
| 19 | सर्विस टैक्स (क्र0 18 का 10.3%) | 764 | 903 | 924 (1017) | 1043 (1149) |
| 20 | मुख्य नियोक्ता द्वारा कुल देय धनराशि (18+19) | 8180 | 9670 | 9895 (10,895) | 11170 (12308) |
| 21 | मुख्य नियोक्ता द्वारा कुल देय धनराशि (20+16) अवकाश राहत सहित | 10277 | 12149 | 12431 | 14034 |

**पदों का वर्गीकरण**

(क) अकुशल– चौकीदार, वेटर, मसालची, परिचर, अनुसेवक, हाउसकीपर, सफाई कर्मचारी, बेलदार, वार्डब्वाय, वार्ड आया, टेलीफोन अर्दली, माली, चतुर्थ श्रेणी और इस प्रकार के काम करने वाले समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये।

(ख) अर्द्धकुशल– मीटर रीडर, वैल्डर, मिस्त्री, कुक, नर्सिंग असिस्टेन्ट, लैब टैक्निशियनय, सुरक्षा गार्ड, आबकारी सिपाही, निरीक्षक, स्टोर कीपर, गेज रीडर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, स्वागती और इस प्रकार के काम करने वाले समस्त कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये।

12% – EPF – employee contribution
13.61% Employer contribution

5000
1000
6700

(ग) <u>कुशल–</u> लाईब्रेरियन, सहायक लेखाकार, रोकड़िया, लिपिक, अनुदेशक, #वाहन चालक, सुपरवाइजर, सर्वेक्षक, ड्राफ्टमैन, लेखाकार, फार्मासिस्ट, सशस्त्र सुरक्षा गार्ड, आई0टी0आई0 प्रशिक्षित और इस प्रकार के काम करने वाले समस्त कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये।

*#जिन विभागों/कार्यालय में अनुसेवक का पद सृजित/स्वीकृत एवं रिक्त हो तथा वाहन चालक से अनुसेवक का अतिरिक्त कार्य भी लिया जा रहा हो, उन विभागों में वित्तीय मितव्ययता के दृष्टिगत वाहन चालकों को रुपये 1000 अतिरिक्त मानदेय दिया जा सकता है।*

(घ) <u>उच्च कुशल–</u>कनिष्ठ अभियन्ता, निजी सचिव, वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक, प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर, सहायक सुरक्षा अधिकारी और इस प्रकार के काम करने वाले समस्त कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये।

(ड) <u>अधिकारी वर्ग–</u>प्रशासनिक अधिकारी, क्षेत्रीय परियोजना अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी इत्यादि को निम्नलिखित वेतनमान देय होगे :–

| संकलित वेतन | सर्विस चार्ज 2.5 % | योग | सर्विस टैक्स 10.3% | उपनल को देय कुल धन राशि |
|---|---|---|---|---|
| 24500.00 | 612.50 | 25112.50 | 2650.00 | 27762.50 |

(सी0एम0एस0 बिष्ट)
अपर सचिव